

# PRESS - RELEASE

जिला सवाई माधोपुर

गुरुवार

दिनांक :- 28.09.2017

## शांति भंग करने के 05 आरोपी गिरफ्तार :-

धर्मेन्द्र कुमार हैड कानि० थाना रवांजना डुंगर ने कन्हैया लाल पुत्र लड्डू लाल उम्र 32 साल निवासी पुराना गांव रवांजना डुंगर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार हरि सिंह हैड कानि० थाना खण्डार ने विक्की उर्फ ओमप्रकाश जाति खटीक उम्र 30 साल निवासी खटीक मोहल्ला खण्डार थाना खण्डार को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार रायसिंह स०उ०नि० थाना कोतवाली गंगापुर सिटी ने मुकेश पुत्र रामचरन उम्र 46 साल जाति ब्राह्मण निवासी इनायती थाना सपोटरा जिला करौली को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार पुरन चन्द उ०नि० थाना कोतवाली गंगापुर सिटी ने मनीष पुत्र श्री इन्द्रमोहन जाति जांगिड उम्र 21 साल निवासी सोप थाना नादौती जिला करौली के पास गंगापुर सिटी थाना गंगापुर सिटी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी मो० अलीम स०उ०नि० थाना बामनवास ने ताराचन्द पुत्र गिरधारी लाल स्वर्णकार उम्र 40 साल निवासी बामनवास पट्टीकैला को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

## शराब पीकर वाहन चलाते 05 आरोपी गिरफ्तार :-

रामवीर सिंह थानाधिकारी थाना चौथ का बरवाडा ने 1. श्री मुकेश पुत्र काना, उम्र 22 साल, जाति गुर्जर, निवासी भदलाव, थाना कोतवाली स.मा. 2. श्री विजय सिंह पुत्र भगवान सिंह, जाति गुर्जर, उम्र 44 साल, निवासी श्रीरामपुरा, थाना कानोता, जयपुर 3. रामसिंह पुत्र देवीलाल, जाति जाट, उम्र 24 साल, निवासी वीरपुर थाना बहरावण्डा कला, स.मा. को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार ब्रजमोहन पाल स०उ०नि० थाना बाटोदा ने हरकेश पुत्र कन्हैयालाल जाति बैरवा उम्र 44 साल निवासी भंवरकी थाना बाटोदा जिला सवाई माधोपुर को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार धर्म सिंह स०उ०नि० थाना कोतवाली स०मा० ने जितेन्द्र पुत्र श्री लड्डूलाल महावर उम्र 35 साल निवासी सुभाष नगर रेल्वे कोलोनी स०मा० को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।